समाज में अभिजन व्यक्तियों की भूमिका

डॉ० महेन्द्र कुमार
एम.ए.,एम.फिल.,नेट,पीएच.डी. राजनीति विज्ञान
एसोसिएट प्रोफेसर

परिचयात्मक शोध की भूमिका

प्रत्येक समाज में किसी न किसी प्रकार का सामाजिक संस्तरण होना अति आवश्यक है। अतः प्रत्येक समाज में प्रमुखतया दो वर्गो का अस्तित्व अवश्य पाया जाता है। उच्च स्तर वर्ग की अवधारणा और समाज में इसके प्रभाव को स्पष्ट करने की दृष्टि से ही पैरेटो ने इस तत्सम्बन्धी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। अभिजन वर्ग संरचना समाज में शक्ति संरचना और निर्णय प्रक्रिया में प्रकट समाज के आधारभूत मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती हैं।

समाज के राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, किसी भी क्षेत्र में उच्च स्थान प्राप्त करने वालों को अभिजन भी कहते है। इसी प्रकार मानवीय गतिविधि के, प्रत्येक क्षेत्र में अंक निर्धारित किये जाये और जिन लोगों को किसी विशिष्ट मानवीय गतिविधि के क्षेत्र में सर्वोच्च अंक मिले और उनका एक वर्ग बनाया जाये, तो उस वर्ग को अभिजन कहेंगे।

इस प्रकार, पैरेटो ने अभिजन शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिये किया है, जो बुद्धि, चरित्र, कुशलता तथा क्षमता के क्षेत्र में उच्च स्थान रखते है। पैरेटो के समान श्रीमोस्का ने ''अभिजन-वर्ग को एक संगठित अल्प-वर्ग कहा है।

उच्च स्तर उन लोगों का समूह है जिन्हें की सभी लोग रखने की इच्छा रखते है, जैसे धन, शक्ति तथा प्रतिष्ठा सबसे अधिक है, सामन्य लोग की स्थिति से, उनकी स्थिति अच्छी होती है तथा जो बड़े निर्णयों को लेने की स्थिति में होते हैं।

अतः अभिजन में समाज का निर्णय लेने की सामर्थ्य होती है। अभिजन समुदाय में, उच्चस्तर के लोग होते है। ये उच्चस्तर के लोग एक दूसरे को जानते है तथा निर्णय लेने में एक दुसरे के विचारों का ध्यान भी रखते है।

वास्तविकता यह है कि , उच्चस्तर के लोग किसी न किसी रूप में समाज में उच्च स्थान रखते है। कोलाबिंस्का ने इसी अर्थ में अभिजन का प्रयोग किया है-''अभिजन शब्द से श्रेष्ठता की मूल ध्वनि निकलती है।

परिचयात्मक शोध के सोपान

आधुनिक समाजशास्त्र के अन्तर्गत ''अभिजन'' सम्बन्धी विभिन्न उपधारणाओं के बीच एक पक्ष को लेकर समानता है- सभी अभिजनवादी लेखक एवं विचारक यह मानते है कि, अभिजन उन अल्पसंख्यक लोगों के लघु समूह को कहते है, जो सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। विभिन्न अभिजनवादी विचारकों एवं लेखकों ने ''अभिजन संकल्पना'' एवं ''अभिजन'' शब्द तथा वर्ग के सम्बन्ध में विस्तृत विचार किया है एवं उनकी परिभाषाएं भी दी है, उन्हीं के आधार पर ''अभिजन अवधारणा'' का सम्यक् विश्लेषण यहाँ पर किया जा रहा है।

परिचयात्मक शोध का महत्व

मानवीय सम्बन्धों के इतिहास में 'नेतृत्व' पहले कभी उतना महत्वपूर्ण नही था, जितना आज है। आज किसी देश की सामाजिक व्यवस्था के परिवर्तन एवं रूपान्तरण में नेतृत्व की भूमिका विशेष रूप से परिलक्षित होती है। नेता विशेषकर अभिजन, चाहे वे ग्रामीण, नगरीय अथवा किसी भी समाज के हो उनको समाज में एक विशेष दर्जा प्राप्त होता है। ये अभिजन जनता की

आकांक्षाओं और भावनाओं के प्रतिनिधि तथा नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षक होते है। इन्हें सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन का शिल्पकार माना जाता है। इनकी एक पृष्ठभूमि होती है, इस कारण जन साधारण के लिए इनका विशेष महत्व होता है।

जनतंत्र शासन व्यवस्था समानता के आधारभतू सिद्धान्त पर आधारित होती है परन्तु लोकतन्त्र में भी व्यवहारिक रूप से समानता के सिद्धान्त का पूर्णरूपेण पालन नहीं हो पाता है। विभिन्न कारण जैसे-सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, वशांनुगत आधार, धर्म-जाति भेद, ज्ञान, शिक्षा तथा कार्य करने की कुशलता आदि लोकतन्त्र में राजनीतिक समानता के सिद्धान्त को अर्थहीन बना देते है और इन्हीं असमानताओं के परिणामस्वरूप कुछ ''विशिष्टजन ''शासन में पहुँचकर शासन व्यवस्था का सचांलन करते है इन्ही विशिष्ट लोगों को ''अभिजन'', ''श्रेष्ठजन'' अथवा 'इलीट' के नाम से जाना जाता है। ''इलीट'' शब्द लैटिन भाषा के ''इलीगेरी'' शब्द से बना है, जिसका अर्थ हातेा है ''चुनना''। ''ऑक्सफोर्ड'' अंग्रेजी शब्द कोष के अनुसार ''इलीट'' शब्द का प्रयागे सन् १८२३ में हुआ। फ्रॉन्सीसी भाषा में इलीट शब्द का प्रादुर्भाव १४वीं सदी के लगभग हुआ था, जिसका अर्थ था ''च्वॉयस''। १६वीं सदी में ''इलीट'' शब्द का यही अर्थ लगाया जाता था।

परिचयात्मक अध्ययन की सार्थकता

संगठनकर्ता का स्थान आविष्कार और आविष्कारों का स्थान, संगठनकर्ता ले लेते हैं। परेटो के शब्दों में ''मानव इतिहास अभिजनों के प्रतिस्थापना का इतिहास है, जिसमें एक का विकास होता है दूसरे का ह्रास होता है। यह पतन न केवल संख्या की दृष्टि से होता है बल्कि गुणों की दृष्टि से भी अपनी शक्ति खो देते हैं, दसू रे लोग शक्ति प्राप्त कर लेते है। अंत में परेटो ने लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी अभिजनों के सम्बन्ध में प्रकाश डालते हुए स्पष्ट किया है कि ''लोकतंत्र में अभिजन राजनीतिक दलों, शासक दल तथा विरोधी दल के प्रतिद्वन्दी नेतृत्व में निहित रहते है, जो व्यक्ति इनमें किसी प्रकार का भाग नहीं लेना चाहते वे अभिजन की श्रेणी में नहीं आते है, इसके अतिरिक्त विभिन्न हित समूह तथा श्रम संघ जो आंतरिक मामले तथा राष्ट्रीय उत्पादन में क्रियाशील रहते हैं, वे एक भिन्न प्रकार के अभिजन वर्ग का निर्माण करते है।

परेटो ने अपने ग्रन्थों में इस बात को भी बताने का प्रयास किया है कि, किस प्रकार शासक वर्ग अपने को सत्ता में बनाए रखता है तथा अधीनस्थ वर्ग पर शासन करता है। परेटो के शब्दों में ''यदि अधीनस्थ वर्ग शासक वर्ग को सत्ता से हटाने के लिए प्रयास करता है तो शासक वर्ग की सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि, शासक वर्ग अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए किस सीमा तक वाक्छल, कपट और भ्रष्ट साधनों का इस्तेमाल करता है। नेतृत्वहीन, अक्षम तथा असंगठित होने पर अधीनस्थ वर्ग किसी भी प्रकार की शासन पद्धति स्थापित करने में असमर्थ रहते है।

परिचयात्मक शोध के उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सम्पादित किया गया है।

१. राजनीतिक उच्चस्तर वर्ग के जाति संरचना का अध्ययन करना।
२. राजनीतिक उच्चस्तर वर्ग के सहभागिता पर, सम्प्रदाय के प्रभाव का अध्ययन।
३. राजनीतिक उच्चस्तर वर्ग की पारिवारिक संरचना का, उनकी राजनीतिक सहभागिता पर प्रभाव का अध्ययन करना।
४. राजनीतिक उच्चस्तर वर्ग के परिवार में शिक्षितों की संख्या तथा राजनीतिक सहभागिता के सह सम्बन्ध का अध्ययन करना।
५. राजनीतिक उच्चस्तर वर्ग के परिवार के सदस्यों के शिक्षा का स्तर तथा राजनीतिक सहभागिता के सह सम्बन्ध का अध्ययन करना।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. अनुच्छेद २४६ भारतीय संविधान : १९९० भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय विधायी विभाग राज्यभाषा, नई दिल्ली, खण्ड-१ (संविधान के अन्तर्गत पंचायतीराज के क्रमिक विकास में ७३वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग ९ का पुन : स्थापित करके तथा १६नये,अनुच्छेदों २४६ से २४३) तक जोड.कर पंचायतीराज को

संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया तथा इसी संशोधन दर्जा प्रदान किया गया तथा इसी संशोधन द्वारा संविधान में ११वीं अनुसूची जोड़ दी गयी है, जिसके अन्तर्गत शामिल विषयों पर पंचायतों का क्षेत्राधिकार होगा।

2. अब्बासयूल, वाई०वी० : १९७८ शिड्यूल कास्ट इलीट् प्रगति आर्ट प्रिन्टर्स, हैदराबाद।
3. अन्नू मेनन मजूमदार : १९६४ "सोशल वेल्फये र इन इण्डिया", बाम्बे
4. एशिया, , पृ० ८७-१२०, शकुन्तल राव शास्त्री, विमेन इन द सेक्रेट लाज बाम्बे, १९५२.
5. अरोरा, सतीश के० :१९७३ सोशल बैंक ग्राउण्ड ऑफ दि फिफ्थ
6. लोकसभा, इ०पी० डब्ल्यू० (विशेष अंक) (३१-३३)
7. आर० प्रेस्थस : १९७१ उद्धृत एफ०जी० काटलस तथा अन्य,
8. पेग्विन बुक आपन यूनिवर्सिटी प्रेस,पृ०३३१.२५८

Aayushi International Interdisciplinary Research Journal
ISSN 2349-638X
www aiirjournal.com